#2024/234

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बयाना ....

जगराम आदि .... बनाम .... चरनसिंह वगै० ....

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट .... नं. 1148/24 ...सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
08.07.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नगला बारैठा तहसील बयाना स्थित है में वादीगण/प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थी को बेदखल कर अनाधिकृत कब्जा नहीं करें। आराजी को रहन–व्यय मुन्तकिल नहीं करें। अप्रार्थीगण के विरूद्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 20.08.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नगला बारैठा तहसील बयाना स्थित है के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/25	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
14/8/25	प्रकरण पेश हुआ। व० प्रार्थीगण उप०। व० प्रार्थीगण द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। व० प्रार्थीगण ने प्रकरण Not-Press करते हुए इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण व० प्रार्थीगण के Not-Press किये के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज	Not Press fin 13/8/25